न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 53/2020

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थी – 1.मिहल पुत्र दोषू, जाति मुसलमान
निवासी हरपालिया
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.उमेदी पुत्र आचार 2.कचरा पुत्र हेदर 3.सचूखां पुत्र रमदान
4.अमीन 5.इमाम 6.शेरखान पि.दोषू 7.सुखों बेवा दोषू
8.मीरखान पुत्र सलेमान 9.सरादीन पुत्र अरबाब
10.सालार पुत्र अजीम 11.इमाम पुत्र मींधा जाति मुसलमान
निवासी आलमसर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
12.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थी :– **श्री मोहनलाल खिलेरी**

विप्रार्थीगण :–

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 02.11.2021

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा आलमसर, तहसील चौहटन में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण सं. 1 से 11 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा सं. 312 रकबा 151.16 बीघा एवं खसरा सं. 306 रकबा 121.04 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता दोषू खां के फौतगी का नामान्तरकरण पारित करते समय राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश प्रार्थी का नाम मिहल के स्थान पर खमीशा अंकित कर दिया जबकि स्व.दोषू खां के खमीशा नाम का कोई अन्य पुत्र नहीं है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मिहल पुत्र दोषू खां

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:45:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

है। प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज, मतदान पहचान पत्र, राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम मिहल ही अंकित है।

प्रार्थी के पिता दोषू खां के अन्य खातेदारी के खेत ग्राम आलमसर एवं हरपालिया में स्थित है। उसमें प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मिहल ही अंकित है।

प्रार्थी का वास्तविक नाम खमीशा न होकर मिहल है। इसलिए प्रार्थी अपना नाम दुरस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में खमीशा के स्थान पर मिहल करवाने हेतु यह आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प आलमसर में पेश हुई। पक्षकारों के कैम्प में उपस्थित होने का नोटिस तामिल अदम तामिल प्राप्त हुआ। कैम्प में प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा विप्रार्थीगण की ओर से विप्रार्थी सं. 4 से 7 और 9 उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारों ने कैम्प में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हमारी संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा आलमसर में खसरा सं. 312 व 306 आया हुआ है जिसमें प्रार्थी मिहल पुत्र दोषू खां का नाम मिहल के स्थान पर खमीशा अंकित हो गया है। जिसे दुरस्त कर खमीशा के स्थान पर मिहल पुत्र दोषू किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं है।

उपस्थित पक्षकारों को सुना गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा **136 RLR Act** का स्वीकार किया जाकर मौजा आलमसर, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 312 रकबा 151.16 बीघा एवं खसरा सं. 306 रकबा 121.04 बीघा में प्रार्थी का नाम खमीशा के स्थान पर मिहल दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प आलमसर में खुले इजलास सुनाया गया ।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल द[illegible] संख्या से एक कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:45:49 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम - II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन